पत्रांक- भ0उ0वि0/यो0(मुज0)-16/2018-374(अ)/ दिनांक 05/3/26

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः- निरीक्षण भवन वैशाली में पाँच वर्षो के लिए मैनेजमेन्ट, हाउसकीपिंग एवं अन्य सेवाओं हेतु ₹81,09,400/- (एकासी लाख नौ हजार चार सौ रूपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर प्रथम वर्ष ₹14,67,600/-, द्वितीय वर्ष ₹15,40,980/-, तृतीय वर्ष ₹16,18,029/-, चतुर्थ वर्ष ₹16,98,930/- एवं पंचम् वर्ष ₹17,83,877/- अर्थात् कुल ₹81,09,400/- (एकासी लाख नौ हजार चार सौ रूपये) मात्र के लागत पर विषयांकित कार्य के प्रबंधन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-053-रखरखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-अनुरक्षण और मरम्मत-मतदेय-विपत्र कोड-03-2059800530001 के विषयशीर्ष-27-लघु कार्य-0001.27.02-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर होगें।
5. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, हाजीपुर, वैशाली से की जायेगी।
6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं.सं.-भ0उ0वि0/यो0(मुज0)-16/2018 के पृष्ठ-108/टि. पर दिनांक-02.12.2025 को प्रदान की गयी है।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं.सं.-भ0उ0वि0/यो0(मुज0)-16/2018 के पृष्ठ-111/टि. पर प्राप्त है।
9. वित्त विभागीय परिपत्र सं.-7355 वि0(2) दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।